[illegible]लय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

[illegible]धिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

[illegible]ख्या:–02 / 2023 दर्ज दिनांक 04.01.2023

[illegible]म एस न0 2023 / 3 निर्णय दिनांक 18.04.2023

1. राधेश्याम पुत्र प्रभात 2. विनोद पुत्र प्रभात 3. रजनीश पुत्र प्रभात	समस्त जाति माली निवासीगण वार्ड न. 4 कुआं भूरी कूडी उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

आवेदकगण

बनाम

1. प्रभात पुत्र मांगू जाति माली निवासी वार्ड न 4 कुआ भूरी कूड़ी उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झनू।
2. उप पंजियक पंजीयन कार्यालय उदयपुरवाटी जिला झुन्झनूं।
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अनावेदकगण

<u>प्रार्थना–पत्र अस्थाई व्यादेश</u>

निर्णय

दिनांक 18.04.2023

आवेदक ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया है कि उनवानी राधेश्याम आदि बनाम प्रभात आदि आदि बाकायदा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है। उक्त दावा बहुत ही मजबूत आधारो पर आधारित है। जिसमें आवेदक को सफलता मिलने की पूरी–पुरी आशा एंव विश्वास है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई व्यादेश का पेश किया कि कस्बा व तहसील उदयपुरवाटी में भूमि खाता संख्या नया 598 के भूमि खसरा न. 1081 रकबा 0.21 है0 खसरा न. 1088 रकबा 0.1000 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3100 है भूमि अवस्थित है। कस्बा उदयपुरवाटी में भूमि खाता संख्या नया 599 के भूमि खसरा न. 1077, 1078, 1079, 1080, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1089, 1093, 1094, 1095, 1096 कुल रकबा 3.02 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि का खातेदार आवेदकगण का दादा मांगूराम खातेदार काश्तकार था जिसका अंकन जमाबन्दी संवत 2046 से 2057 में दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार उक्त भूमि पैत्रिक भूमि है। आवेदकगण व अनावेदक संख्या 1 ने मौखिक विभाजन कर कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण पैत्रिक भूमि को गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में भूमि बेचान करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपनी मंशा में सफल हो जाता है तो आवेदक को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है। अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की धारा 11 में अनावेदकगण को जरिय अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे तथा तादौराने मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थित बनाए रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश करन निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की धारा 7 में मांगूराम का देहान्त होना स्वीकार है तथा मांगूराम के देहान्त के बाद उत्तरदाता के नाम नामान्तकरण दर्ज होना स्वीकार है। उत्तरदाता ने अपने हिस्से की भूमि का ही बेचान कर रहा है, आवेदक के हिस्से की भूमि का बेचान नहीं कर रहा है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र खारि[illegible] जाना प्रार्थनीय है। [illegible] संख्या 2, 3 बावजूद तामील हाजिर नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में [illegible] है।

बहस प्रार्थना–पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण के अधिवक्[illegible] प्रार्थना में अंकित तथ्यो को दौहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पैत्रिक भूमि [illegible] जिसके गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में अनावेदक भूमि को बेचाने करने पर आमादा है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अनावेदक को दावे के निस्तारण तक पाबन्द फरमाया जाना प्रार्थनीय है। बह[illegible] अप्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि अनावेदक अपनी हिस्से की भूमि का ही बेचान कर रहा है आवेदक के हिस्से की भूमि का बेचान नहीं कर रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:01:22 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र ...लय में विचाराधीन है। चूंकि हक हकुक के संबंध में निर्णय तो दावे के विधिवत सुनवाई ...य होना है। विवादग्रस्त भूमि को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमाबाजी व ...बढे इसके लिए अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द ...ना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 598 के भूमि खसरा न. 1081, 1088, कुल रकबा 0.31 है0, खाता संख्या नया 599 के भूमि खसरा न. 1077, 1078, 1079, 1080, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1089, 1093, 1094, 1095, 1096 कुल रकबा 3.02 है में मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा काश्त करने में व्यवधान नही डाले।

18/4/23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

निर्णय आज दिनांक 18.04.2023 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/4/23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:01:22 IST
Reason: SelfAttested